

दादा रामलाल या शीशाल

19/12/25 वादी के अधिवक्ता
उपस्थित हैं प्रति 0 नौ लखरी
पक्ष 'हड्ड' लुंग पुनः लखरी
का/१९ अन्तिम अवसर (रिप)
आकर पी. 13/02/26 को फंसा लें

13/2/26

सजावली में आने का अधिकार, कोर्टकासिम
का कार्य स्थगित किए जाने का ज्ञापन किया है।
सजावली वाले अधिकारियों को अग्रिम कार्यवाही
में दिशाएं... 22/5/26 को भेजा हो।

22/5/26 वादी तथा बंधुके वकील (पार
अपस्थित पक्ष हैं। कठिणार 29-2
का आवाजे' दिशा' तो वादी कठि
तत्पक्ष से कोई अपस्थित पक्ष आया।
समय बचाल की सुधारित
परिष्कारित: वादी की अनुपस्थिति

- वकील की आकर वादी का वाद
अपक्ष वपक्षी अद्वय परकी को
स्वस्थित तथा जाता है

वाद तदापुनः रिपोर्ट लेव
पुनः वाद तदधिकार जमा अन्तिमवाक्य
का/१९ जोड।

उपखण्ड अधिकारी
कोर्टकासिम (खैरथत-तिजाद) राज०